न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 101/2008/आवेदन 212RTA

1. रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्री मेवाराम
2. मनफूली पत्नी मेवाराम

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. मेवाराम पुत्र टीकूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. उप–पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर।
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील अप्रार्थी की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 12.09.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है विवादित भूमि खसरा नम्बर 435 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 53 रकबा 123 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 व 53 रकबा 3 बिस्वा ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है जिसके नये खसरा नम्बर 630 ता 632 किता 3 कुल रकबा 3.92 हैक्टर वाके ग्राम चक तथा खसरा नम्बर 156 ता 167 किता 12 कुल रकबा 5.58 हैक्टर वाके ग्राम कुली गत भू–प्रबंधन के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये गये है। उक्त भूमियों में आवेदकगण का हक व हिस्सा जन्मजात रहा है। आवेदकगण की माता फौत हो चुकी है जिसके आवेदकगण दो ही संतानें है। आवेदकगण के पिता दुबारा विवाह कर लिया तथा इसके तीन संताने है इस तरह

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

हमारे पिता के पांच संतानें है। आवेदकगण की सौतेली माता के मन में बेईमानी आ गई है तथा इस कारण अनावेदक संख्या 1 उपरोक्त आवेदकगण के हिस्से की भूमियों को बेचान करने की बेईमानी आ गई है तथा आवेदकगण को इनके हक व हिस्से सें बेदखल करने की नामाम कोशिश करने लगे है। जिस कारण वादकारण उत्पन्न हुआ है। यदि अनावेदक अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो गये तो आवेदकगण के वैध हक व अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में कानून द्वारा कतई संभव नहीं है। इसलिए आवेदकगण को उपरोक्त पैत्रक भूमियों में उनको काबिज खातेदार/काश्तकार उद्घोषित किया जाकर अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जाना उचित, आवश्यक व न्याय संगत है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा सं प्रतिबंधित फरमाया जावे कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 630 ता 632 किता 3 कुल रकबा 3.92 हैक्टर वाके ग्राम चक तथा खसरा नम्बर 156 ता 167 किता 12 कुल रकबा 5.58 हैक्टर वाके ग्राम कुली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की नींव सींव तोड़फोड़ करने, रहन, बेचान करने मौका स्थिति परिवर्तन करने आदि सें बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 1 की ओर सें वकील श्री भंवर सिंह शेखावत हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। आवेदन में वर्णित कृषि भूमि पैत्रक है तथा आवेदकगणों का आवश्यक हित निहित है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में साबित होता है। सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगणों के पक्ष में ही साबित होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगणों का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को तादौराने वाद पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 630 ता 632 किता 3 कुल रकबा 3.92 हैक्टर वाके ग्राम चक तथा खसरा नम्बर 156 ता 167 किता 12 कुल रकबा 5.58 हैक्टर वाके ग्राम कुली पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner